संख्या- 1/2025/151/26-2-2025/क0नं0-1729773

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उ0प्र0।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 11 फरवरी, 2025

विषयः-राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु आवेदन, स्वीकृति एवं वितरण इंटरनेट आधारित प्रणाली द्वारा किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-1360/26-2-2024/क0नं0-1729773, दिनांक 25.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित कर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा आधार, मृत्यु प्रमाण-पत्र तथा आय-प्रमाण पत्र का प्रमाणीकरण करते हुये स्वीकृति एवं भुगतान की व्यवस्था को निर्धारित किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश के प्रस्तर-8 (II) में निम्नवत् व्यवस्था की गई हैः-

''किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के 75 दिनों के उपरान्त कोई भुगतान जनपद स्तर से किया जाना सम्भव नहीं होगा। ऐसे मामलों में कारण सहित पूरी स्थिति जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण को सन्दर्भित की जायेगी तथा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 से प्रस्ताव का परीक्षण कर स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त ही संबंधित लाभार्थियों को जनपद स्तर से भुगतान किया जायेगा।''

3- इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 25.10.2024 के प्रस्तर-8 (II) में दी गई व्यवस्था को समाप्त करते हुये निम्नवत् यथा-संशोधित व्यवस्था की जाती हैः-

''75 दिवस से अधिक के लम्बित पात्र आवेदन पत्रों की स्वीकृति जिला स्तरीय समिति से कराते हुये पात्र लाभार्थियों को जनपद स्तर से भुगतान किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।''

4- उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के संबंध में प्रस्तर-3 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

उक्त शासनादेश संख्या-1360 / 26-2-2024 / क0नं0-1729773, दिनांक 25.10.2024 को इस सीमा तक संशोधित माना जाय।

भवदीय,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

<u>पृ0संख्या व तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-1938/स0क0/एन0एस0ए0पी0/रा0पा0ला0यो0/2024-25, दिनांक 24.01.2025 के क्रम में।
2- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
3- समस्त मण्डलीय उप निदेशक/जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
4- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र उ0प्र0 लखनऊ।
5- गार्ड फाइल।

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

संख्या- 1360/26-2-2024/क0नं0- 1729773

प्रेषक,

डा0 हरिओम,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 25 अक्टूबर, 2024

विषय:- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु आवेदन, स्वीकृति एवं वितरण इंटरनेट आधारित प्रणाली द्वारा किये जाने के संबंध में।

महोदय,

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु आवेदन, स्वीकृति एवं वितरण इंटरनेट आधारित प्रणाली द्वारा किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-607/26-2-2023-100(02)/2007, दिनांक 01.08.2023, शासनादेश सं0-20/2016/1468/26-2-20216-100(2)/2007, दिनांक 10.06.2016, शासनादेश सं0-23/2016/1700/26-2-2016-100(02)/2007, दिनांक 27.07.2016 एवं शासनादेश संख्या-08/2017/689/26-2-2017-100(02)/2007, दिनांक 07.06.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- विभिन्न जनपदों से प्राप्त सुझावों पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता, समयबद्धता तथा पात्र आवेदकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त शासनादेश दिनांक 01 अगस्त, 2023, शासनादेश दिनांक 10 जून, 2016, शासनादेश दिनांक 27 जून, 2016 एवं शासनादेश दिनांक 07 जून, 2017 को अतिक्रमित करते हुए तात्कालिक प्रभाव से लाभार्थियों से ऑनलाईन नवीन पोर्टल के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित कर निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा आधार, मृत्यु प्रमाण पत्र तथा आय प्रमाण पत्र का प्रमाणीकरण करते हुये स्वीकृति एवं भुगतान की निम्नवत् व्यवस्था निर्धारित की जाती है:-

(1) <u>पात्रता</u>:-

I. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुख्य कमाऊ मुखिया (महिला या पुरुष) की मृत्यु की तिथि तक आयु 18 वर्ष या उससे अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।

II. आवेदक की आय गरीबी की सीमा रेखा के अन्तर्गत होनी चाहिए अर्थात शहरी क्षेत्र में रू0 56,460 /- प्रति वर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46,080/- प्रति वर्ष की आय सीमा वाले परिवारों के कमाऊ मुखिया (पुरूष अथवा महिला यथास्थिति) की मृत्यु होने पर यह सुविधा अनुमन्य की जाती है।

III. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए मृत्यु की तिथि के एक वर्ष के अन्दर आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा।

IV. आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक हो तथा आधार सीडेड हो ।

(2)- ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के महत्वपूर्ण बिंदु:-

I. इस योजना के अन्तर्गत पात्र आवेदकों को समाज कल्याण विभाग के वेबसाईट **https://nfbs.upsdc.gov.in** पर लॉगिन करके ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा। अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

II. आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र जन सुविधा केन्द्रों (कामन सर्विस सेन्टर),साइबर कैफे, निजी इन्टरनेट केन्द्र अथवा विभागीय वेबसाइट पर स्वयं भरा जा सकता है।

III. जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से आवेदन पत्र ऑनलाईन भरने की स्थिति में आवेदक को जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम् शुल्क जन सुविधा केन्द्र प्रभारी को भुगतान करना होगा।

IV. ऑनलाईन आवेदन पत्र में दर्ज प्रविष्टियों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। यदि आवेदक द्वारा कोई प्रविष्टि गलत दर्ज कर दी जाती है तो आवेदक द्वारा दर्ज प्रविष्टियों में अन्तिम रूप से पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन पत्र सबमिट (submit) करने से पूर्व सुधार किया जा सकता है।

V. प्रत्येक आवेदक को ऑनलाईन आवेदन, स्वीकृति / अस्वीकृति से लेकर धनराशि आधार लिंक बैंक खाते में प्रेषण तक की सूचना एस०एम०एस० के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर दी जायेगी।

VI. नवीन पोर्टल के चालू होने से पूर्व अवशेष पात्र आवेदन पत्रों को आवेदक की सहमति प्राप्त करते हुये आधार प्रमाणीकरण कर संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा तत्समय लागू शासनादेश के अनुसार यथाशीघ्र भुगतान किया जायेगा।

VII. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप के सभी कालमों को भरना अनिवार्य होगा एवं आवेदन पत्र के साथ आवेदक का आधार कार्ड, स्वयं का फोटो, आय प्रमाण-पत्र, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक की उम्र से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र यथा-परिवार / कुटुम्ब रजिस्टर की प्रति अथवा शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो, को अपलोड किया जायेगा। आवेदक को आधार लिंक सी०बी०एस० बैंक खाते में ही धनराशि प्रेषित की जायेगी, इस कारण प्रत्येक आवेदक द्वारा अपने वर्तमान बैंक खाते में आधार लिंक कराया जाना अनिवार्य होगा।

VIII. लाभार्थी का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंकों अथवा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा अधिकृत ऐसे बैंको में होना चाहिए, जो "कोर बैंकिंग सिस्टम" के अधीन हैं और जिनमें आधार के द्वारा लिंक किया जा सके, ताकि ई-पेमेंट के माध्यम से उनके खातों में सीधे धनराशि अंतरित की जा सके।

IX. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरे जाने के उपरान्त संबंधित सेवा प्रदाता एजेन्सी के इस कार्य हेतु नामित कार्मिक द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी प्रविष्टियों के संबंध में पूरी जानकारी पढ़कर आवेदक को सुनाई जायेगी एवं उसके संतुष्ट होने के उपरान्त ही उसके आवेदन पत्र को

ऑनलाईन फाईनल सबमिट (submit) किया जायेगा। **फाइनल सबमिट के पश्चात आवेदन पत्र में कोई भी बदलाव करना सम्भव नहीं होगा।**

X. आवेदक ऑनलाईन सबमिट होने पर रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओ०टी०पी० से अपने आवेदन की स्थिति पोर्टल पर जाकर प्राप्त कर सकेंगे। स्वहस्ताक्षरित / निशानी अंगूठा युक्त आवेदन पत्र तथा अपलोड किये गये सभी आवश्यक संलग्नकों यथा आय प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, मृतक की आयु का प्रमाण पत्र एवं आधार लिंक बैंक खाता सम्बन्धी प्रपत्रों का प्रिंट आउट निकालकर उसे अपने पास रखेंगे।

XI. परिशिष्ट-1 में आवेदन भरने की पूरी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

(3) <u>आवेदन करते समय सावधानियाँ</u> - ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदनकर्ता को अपने समस्त प्रपत्र यथा- ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र, ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक अपने पास रखना अनिवार्य है तथा आवेदन ऑनलाइन कराते समय सभी प्रपत्रों के नम्बर सही-सही फीड कराना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आवेदन करते समय उसी मोबाइल नम्बर को फीड कराना आवश्यक है, जिस पर ओ0टी0पी0 मंगानी हो। आधार अथेन्टिकेशन के लिए आधार में अंकित नाम एवं अन्य विवरण का आवेदन पत्र में अंकित नाम एवं अन्य विवरण से मैच (Match) होना अनिवार्य है।

(4)- <u>आवेदन पत्र की जॉच / सत्यापन की प्रक्रिया</u>:-

I. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन सबमिट करने के उपरांत आवेदन पत्र योजना के पटल सहायक / जिला समाज कल्याण अधिकारी के लॉगिन आई0डी0 पर प्रदर्शित होगा।

II. ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्रों को तिथिवार वरीयता सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही निर्धारित की जायेगी।

III. योजना के पटल सहायक का यह दायित्व होगा कि वह आवेदक के आवेदन पत्र मय संलग्नक प्रिंटआउट तत्काल निकलवाकर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा नामित किये गये सत्यापनकर्ता अधिकारी / कर्मचारी को उपलब्ध करायेंगे।

IV. जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा नामित सत्यापनकर्ता अधिकारी / कर्मचारी का दायित्व होगा कि आवेदक द्वारा ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्र का सत्यापन ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होने की तिथि से विलंबतम 15 दिनों के अंदर सम्पन्न करते हुए सत्यापन रिपोर्ट जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित करेंगे। सत्यापनकर्ता कर्मचारी / अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के निरस्तीकरण के कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा, जिसे जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अपनी सहमति देते हुये तथा ऑनलाईन आवेदन पत्र के निरस्तीकरण के कारण का उल्लेख करते हुये आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

V. संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि निर्धारित **30 दिवसों** के अंदर राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण सुनिश्चित करे। निर्धारित अवधि में निस्तारण न करने का युक्तियुक्त कारण स्पष्ट करना होगा। यदि कारण तर्कसंगत/आधार युक्त तथा नियमानुकुल नहीं होगा तो संबंधित

जिला समाज कल्याण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारण कर उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही भी की जायेगी।

VI. पोर्टल में इस बात का स्पष्ट प्राविधान किया गया है कि जब तक पूर्व में लम्बित आवेदन पत्र का निस्तारण संबंधित सत्यापनकर्ता कर्मचारी / अधिकारी द्वारा नहीं कर लिया जाता है, तब तक बाद में प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण उनके द्वारा नहीं किया जा सकेगा।

(5)- आवेदन पत्र की स्वीकृति की प्रक्रिया:-

I. जनपद में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के संचालन आवेदन पत्रों की स्वीकृति व क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार जनपद स्तरीय समिति का गठन किया गया है-

जिलाधिकारी	- अध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी	- सदस्य
जिला समाज कल्याण अधिकारी	- सदस्य सचिव

जिलाधिकारी आवश्यकतानुसार जनपद स्तरीय समिति में अन्य अधिकारियों को भी संबद्ध कर सकते हैं।

II. जनपद स्तरीय समिति के समक्ष सदस्य सचिव द्वारा विगत बैठक के उपरांत लाभार्थियों को की गयी भुगतान से संबंधित विवरण, जांच में लम्बित प्रकरणों की तहसीलवार सूची एवं अन्य सभी सुसंगत सूचना / अभिलेख प्रस्तुत किया जायेगा ।

III. सदस्य सचिव द्वारा बैठक में नवीन स्वीकृति का पूर्ण विवरण यथा ऑनलाईन आवेदन पत्रों की संख्या व विवरण, जाँच / सत्यापन में पात्र पाये गये लाभार्थियों की संख्या व विवरण तथा निरस्त किये गये आवेदन पत्रों का विवरण समिति के समक्ष रखा जायेगा।

IV. समिति द्वारा पात्र पाये गये आवेदन पत्रों के सापेक्ष भुगतान हेतु स्वीकृति एवं अनुमोदन दिया जायेगा।

V. जनपद स्तरीय समिति अपने स्तर से भी किसी भी प्रकरण में मृत्यु के कारणों, लाभार्थी के पात्रता श्रेणी के अंतर्गत आने अथवा न आने या किसी भी अन्य बिन्दु पर आवश्यकतानुसार जांच करा सकती है।

VI. **जिलाधिकारी की अनुमति से समिति की बैठक माह में कम-से-कम एक बार आयोजित करायेंगे। यदि स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध नहीं है तो ऐसी दशा में भी जिला समाज कल्याण अधिकारी / सदस्य सचिव पत्रावली पर जिलाधिकारी को संसूचित करेंगे।**

(6)- <u>पी०एफ०एम०एस० से भुगतान की प्रक्रिया</u>:-

I. सत्यापनकर्ता कर्मचारी / अधिकारी द्वारा सत्यापनोपरान्त आवेदन पत्र अग्रसारित करने के साथ साथ जिला समाज कल्याण अधिकारी आवेदनकर्ता के आधार लिंक बैंक खाते के सत्यापन हेतु बेनीफिशियरी फाईल बनाकर पी०एफ०एम०एस० पोर्टल पर अपलोड करेंगे. जिसका प्राविधान सॉफ्टवेयर में किया गया है. ताकि पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से आवेदनकर्ता के आधार लिंक बैंक खाते का सत्यापन भी निर्धारित समय के अंदर प्राप्त हो सके।

II. जिला समाज कल्याण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पी०एफ०एम०एस० से आवेदक के बैंक खाता का सत्यापन निर्धारित समय के अंतर्गत प्राप्त हो जाय। यदि बेनीफिशियरी फाईल पी०एफ०एम०एस० सर्वर पर अपलोड करने के एक सप्ताह के अंदर रिस्पांस प्राप्त नहीं होता है, तो तत्काल समाज कल्याण निदेशालय में संबंधित नोडल अधिकारी को सूचित करेंगे।

III. समाज कल्याण निदेशालय के नोडल अधिकारी का यह दायित्व होगा कि पी०एफ०एम०एस० के अधिकारियों से संपर्क कर प्रकरण का निस्तारण कराये।

IV. सभी पात्र आवेदकों को धनराशि का भुगतान जनपद स्तर पर संचालित एकल नोडल खाता (Single Child Nodal Account) के माध्यम से किया जायेगा। मॉग के अनुसार धनराशि का अन्तरण राज्य स्तर पर खुले एकल नोडल खाता (Single Child Nodal Account) से जनपदों के एकल नोडल खाता (Single Child Nodal Account) में किया जायेगा।

V. जनपद स्तर पर PFMS के माध्यम से पोर्टल से जनरेट Payment File के द्वारा धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

VI. आवेदक के आधार लिंक खाते में धनराशि प्रेषित करने पर ट्रांजेक्शन फेल होने की दशा में आवेदक के सही एवं संचालित बैंक खाते में आधार लिंक कराते हुये धनराशि पुनः प्रेषित की जा सकेगी। सही बैंक खाते में आधार लिंक कराने का उत्तरदायित्व संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी का होगा।

VII. परिशिष्ट-2 में ट्रांजेक्शन फेल होने पर भुगतान की पूरी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

VIII. **जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ऑनलाईन आवेदन के 45 दिवस के भीतर यथासंभव पात्र लाभार्थियों को अनुदान सहायता धनराशि का भुगतान हो जाये।**

(7) <u>जिला समाज कल्याण अधिकारी का दायित्व</u>:-

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की स्वीकृति के पूर्व जिला समाज कल्याणअधिकारी द्वारा विगत वर्षों में योजनान्तर्गत स्वीकृत मामलों से मिलान कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पूर्व में आवेदक को सहायता राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

I. जिन आवेदन-पत्रों की जांचोपरांत भुगतान हेतु सत्यापनकर्ता कर्मचारी / अधिकारी की संस्तुति प्राप्त हो जाती है और जिनका पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से आधार लिंक बैंक खाते का रिस्पांस प्राप्त हो जाता है, ऐसे समस्त प्रकरणों में अन्तिम रूप से पात्र पाये गये लाभार्थियों की अन्तिम सूची तैयार कर 07 दिवस के अन्दर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा स्वीकृति समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

II. जिला स्तरीय समिति की स्वीकृति पत्रावली पर प्राप्त करने के साथ-साथ संलग्न प्रारूप को भी भरकर तथा संबंधित अधिकारियों का हस्ताक्षर प्रारूप पर प्राप्त कर उक्त प्रारूप को संबंधित पोर्टल पर जिला समाज कल्याण अधिकारी अपलोड करेंगे तथा अपने डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृत लाभार्थियों की सूची को सत्यापित करेंगे।

III. तदुपरांत पोर्टल के माध्यम से ही मांग-पत्र तैयार कर जनपद स्तर के बैंक में खुले एकल नोडल खाता (Single Nodal Account) के माध्यम से पी०एफ०एम०एस० प्रणाली द्वारा

संबंधित लाभार्थियों के आधार लिंक बैंक खाते में धनराशि अंतरण की कार्यवाही की जाएगी।

IV. बजट उपलब्ध न होने की दशा में शासनादेश संख्या-1739/26-2-2006 दिनांक 20.06.2006 में निर्धारित व्यवस्थानुसार ट्रेजरी रूल- 27 (टी०आर०-27) के अंतर्गत बजट आवंटन की प्रत्याशा में जिलाधिकारी धनराशि का स्वविवेक से आहरण कर सकते हैं तथा लाभार्थियों को भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करा सकते हैं। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व बजट प्राप्त कर टी०आर०-27 की असमायोजित धनराशि का समायोजन सभी जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनिश्चित करायेंगे।

V. **किसी अपात्र अभ्यर्थी के आवेदन को स्वीकृतोपरान्त अग्रसारित करने हेतु संबंधित सत्यापनकर्ता कर्मचारी / अधिकारी तथा अपात्र अभ्यर्थी को अनियमित भुगतान हेतु योजना पटल सहायक / जिला समाज कल्याण अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होगें।**

VI. जिला समाज कल्याण अधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि पी0एफ0एम0एस0 पर प्राप्त बेनीफिशियरी पेमेण्ट फाइल की भुगतान से पूर्व एक बार अपने स्तर से पुनः जाँच कर लें ताकि पात्र आवेदकों को ही धनराशि का भुगतान हो सके। किसी भी अपात्र को किसी भी दशा में भुगतान होने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी ही पूर्ण उत्तरदायी होंगे।

(8)- <u>विलंब की स्थिति में प्रक्रिया का निर्धारण</u>:-

I. जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण 45 दिनों के अंदर हो जाय। आवश्यकतानुसार किसी अन्य अधिकारी से भी जांच कराकर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही संपादित कर सकेंगे।

II. किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के 75 दिनों के उपरान्त कोई भुगतान जनपद स्तर से किया जाना सम्भव नहीं होगा। ऐसे मामलों में कारण सहित पूरी स्थिति जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण को सन्दर्भित की जायेगी तथा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 से प्रस्ताव का परीक्षण कर स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त ही संबंधित लाभार्थियों को जनपद स्तर से भुगतान किया जायेगा।

(9)- <u>आकस्मिकता की स्थिति में भुगतान हेतु निर्धारित प्रक्रिया</u>:-

किसी अपरिहार्य एवं आकस्मिकता की स्थिति जहाँ मृतक के आश्रित को पात्रता की स्थिति में तत्काल सहायता प्रदान किया जाना वांछित है, में जिला समाज कल्याण अधिकारी आवेदन पत्र को स्वयं ऑनलाईन भरेंगे तथा डिजिटल सिग्नेचर से सत्यापित करेंगे। जिलाधिकारी भी उक्त आवेदन-पत्र को अपने डिजिटल सिग्नेचर से सत्यापित करेंगे। तदुपरांत लाभार्थियों को देय धनराशि का भुगतान निर्धारित प्रक्रियानुसार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की स्वीकृति डिजिटल सिग्नेचर के उपरांत संबंधित योजनान्तर्गत जनपद से ही किया जायेगा।

(10)- <u>अभिलेखों का रख-रखाव</u>:-

जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में वर्षवार एक पंजी अनुरक्षित की जायेगी। जिसमें निर्धारित प्रारूप पर समस्त आवेदन पत्रों का विवरण एवं भुगतान का विवरण अंकित

होगा। साथ ही आवेदन पत्र के निरस्तीकरण के कारणों का उल्लेख भी किया जायेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी अपात्र/पात्र तथा भुगतानित लाभार्थियों का वर्षवार पूर्ण विवरण एक्सेल शीट में अपने पास रखेगें।

(11)- <u>फीडबैक एवं शिकायत निवारणः</u>-

योजनान्तर्गत आवेदकों द्वारा अपनी किसी भी समस्या के निराकरण हेतु मुख्यालय स्तर पर संचालित कमान्ड सेन्टर के **हेल्पलाइन नम्बर 14568** पर दर्ज करायी जा सकती है।

(12) <u>योजना का प्रचार-प्रसारः</u>-

योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु तहसील दिवसों में लाभान्वित लाभार्थियों की सूची तथा पात्रता को शर्तों एवं देय सहायता आदि को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाए, जिससे जन सामान्य को योजना के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हो सके। आवश्यकतानुसार होर्डिंग, पोस्टर, हैंडबिल आदि के माध्यम से भी योजना का प्रचार प्रसार सुनिश्चित कराया जाय। इस पर होने वाला व्यय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना के प्रशासनिक मद से वहन किया जायेगा और निदेशालय द्वारा आवश्यकतानुसार बजट प्रत्येक जनपद को उपलब्ध कराया जायेगा।

(13) <u>राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना पोर्टल में प्रस्तावित नवीन परिवर्तन/सुधार:-</u>

- छात्रवृत्ति योजना की भांति ही राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में भी लाभार्थी का खाता आधार से सीडेड है या नहीं, के सम्बन्ध में API द्वारा Live Verification किया जाना अपेक्षित है।
- स्टेटस चेक करने के लिए आधार बेस्ड ऑप्शन उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

तद्नुसार शासनादेश संख्या-607/26-2-2023-100(02)/2007, दिनांक 01.08.2023, शासनादेश संख्या-20/2016/1468/26-2-20216-100(2)/2007, दिनांक 10.06.2016, शासनादेश संख्या-23/2016/1700/26-2-2016-100(02)/2007, दिनांक 27.07.2016 एवं शासनादेश संख्या-08/2017/689/26-2-2017-100(02)/2007, दिनांक 07.06.2017 को एतदद्धारा निरस्त किया जाता है।

कृपया उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,

डा0 हरिओम
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या- (1)/26-2-2024/क0नं0-1729773 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलीय उप निदेशक/जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र उ0प्र0 लखनऊ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।